

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।


क्रमांक: NRHM/RCH-II/JSY/11/ 2354
समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज,
समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

दिनांक 23/8/11

विषय:-राजकीय चिकित्सा संस्थाओं पर सभी गर्भवती महिलाओं एवं बीमार नवजात शिशुओं (30 दिवस तक) को यूजर चार्जस में छूट प्रदान किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से "जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम" का अतिशिघ्र शुभारंभ किया जाना है। जिसके अन्तर्गत सभी प्रसूताओं एवं बीमार नवजात शिशुओं (30 दिवस तक) को सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में सभी प्रकार की सेवाएँ निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी।


इस संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के प्रारम्भ होने की तिथी से सभी सरकारी चिकित्सा संस्थाओं पर प्रसूताओं एवं बीमार नवजात शिशुओं (30 दिवस तक) को सभी प्रकार के यूजर चार्जस में छूट प्रदान की जाये।


प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक: NRHM/RCH-II/JSY/11/ 2354
प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :-

दिनांक 23/8/11

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, मिशन निदेशक(एनआरएचएम), जयपुर।
5. निदेशक, आरसीएच/जन स्वास्थ्य/एड्स/आईईसी मुख्यालय, जयपुर।
6. परियोजना निदेशक, एनआरएचएम, मुख्यालय, जयपुर।
7. जिला प्रमुख, समस्त जिले।
8. समस्त जिला कलेक्टर।
9. संयुक्त निदेशक, जोन-जयपुर/अजमेर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर।
10. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक।
11. डिविजनल एमसीएच कॉर्डिनेटर अजमेर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर।
12. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
13. ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक/ब्लॉक लेखा प्रबन्धक, समस्त जिले।
14. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि समस्त जिलों में एवं सम्बन्धितों को ई-मेल द्वारा सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
15. रक्षित पत्रावली।


निदेशक (आरसीएच)